यह निरीक्षण आख्या कार्यालय **प्राचार्य चंद्रावती तिवारी कन्या, महाविद्यालय काशीपुर** देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्राचार्य चंद्रावती तिवारी कन्या, महाविद्यालय काशीपुर** की लेखापरीक्षा माह 11/2013 से 05/2016 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री संतोष कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री भानुप्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09.06.2016 से 18.06.2016 तक सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग–प्रथम

(अ) परिचयात्मक : इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा सर्वश्री एफ.आर. खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं सर्व श्री अरविन्द कुमार शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री डी.एन. मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा सम्पन्न हुई थी। जिसमें खण्ड के माह 04/2004 से 10/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. लेखापरीक्षा अवधि में निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	डा. कीर्ति पंत	13.07.2015 से वर्तमान तक

2. विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन स्थिति –

प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	प्रस्तर 2 अ	प्रस्तर 2 ब
138/2013–14	–	01

3. सतत् अनियमितताएं – शून्य

4. अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित): – शून्य

5. बजटः – (धनराशि ` लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय
2013–14	59.00	59.00
2014–15	73.72	73.72
2015–16	80.00	80.00

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1 : चन्द्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय काशीपुर के 507 लाभार्थियों का ` 29.23 लाख की छात्रवृत्ति लाभ से वंचित रहना।

प्राचार्य, चंद्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय, काशीपुर की संप्रेक्षा के दौरान अभिलेखों की जांच में पाया गया कि संप्रेक्षित वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के 507 छात्र बी.ए./एम.ए. एव बी.एड. की छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित रहे।

छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित लाभार्थियों का वर्षवार विवरण इस प्रकार था–

(लाख में)

वर्ष	अनु. जाति/जनजाति छात्रवृत्ति बीए/एमए	अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति बीए/एमए	अनु. जाति/जनजाति छात्रवृत्ति बीएड	अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति बीएड	योग
2008–09	0	0	0	1.42 (05)	1.42
2009–10	0	0.703 (46)	0	2.556 (09)	3.259
2010–11	0	0.806 (41)	0	4.62 (11)	5.426
2011–12	3.497 (83)	0.69 (24)	0	3.78 (09)	7.967
2012–13	3.882 (90)	0.83 (26)	0.42 (01)	0	5.132
2013–14	2.936 (69)	0.72 (25)	0	0	3.656
2014–15	2.37 (67)	0	0	0	2.37
योग	**12.685**	**3.749**	**0.42**	**12.376**	**29.23**

छात्रवृत्ति समाज के गरीब/पिछड़े वर्ग के छात्रों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। इन छात्रों के भविष्य निर्माण में सरकार द्वारा दी गयी छात्रवृत्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

इस प्रकरण में ` 29.23 लाख की छात्रवृत्ति नहीं मिलने से पिछली 7–8 वर्षों में 507 छात्र प्रभावित हुए हैं।

महाविद्यालय के छात्रों की छात्रवृत्ति के संदर्भ में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बतलाया गया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछले वर्षों की बकाया छात्रवृत्ति ` 29.23 लाख प्राप्त नहीं हुई है। इसके फलस्वरूप लाभार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं प्रदान किया जा सका।

उत्तर संप्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि महाविद्यालय की तरफ से बकाया छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए समुचित पत्राचार[1] नहीं किया गया था, जो कि महाविद्यालय की प्रशासनिक शिथिलता को दर्शाता है।

अतः 507 लाभार्थियों का ` 29.23 लाख की छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

[1] महाविद्यालय द्वारा उपरोक्त वर्षों के दौरान केवल एक पत्र (सं. 103/2014–15 दिनांक 22.01.2015) संप्रेक्षा को उपलब्ध कराया जा सका।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 2 : विगत एक से चार वर्षों के ` 255187.00 की काशनमनी की धनराशि छात्रों को वापस न लौटाया जाना।

चन्द्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय, काशीपुर जो कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है कि विवरणिका के अनुसार विश्वविद्यालय के परिसरों में वार्षिक प्रणाली पर आधारित पाठयक्रमों का शुल्क निर्धारित था। जिसमें स्नातक के छात्राओं से ` 200.00 एवं परास्नात्तक के छात्राओं से ` 300.00 की कॉशनमनी ली जाती है एवं सुरक्षित धन (काशनमनी) को वापस कराने के लिए विद्यार्थियों को अपना आवदेन पत्र परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त या अक्टूबर से दिसबंर में देना होगा। किसी और माह में तत्संबंधित आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं होगा। आवेदन प्रपत्र अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में उपलब्ध रहता है। इस प्रपत्र को लेकर तथा पूर्ण रूप से भर कर और साथ ही प्रथम प्रवेश शुल्क रसीद संलग्न करके संबंधित अधिकारियों से इस पर प्रमाणित करना चाहिए कि विद्यार्थी के पास परिसर की कोई सामग्री या शुल्क आदि बाकी नहीं है। यह सारा कार्य पूरा हो जाने और विद्यार्थी द्वारा परिचय पत्र दिखाने पर चैक द्वारा लेखा कार्यालय से सुरक्षित धन वापस किया जायेगा, जो केवल संबंधित विद्यार्थी को ही देय होगा। अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पांच वर्ष की अवधि बीत जाने पर सुरक्षित वापसी नहीं होगी।

कार्यालय के काशनमनी संबंधित लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2012–13 से वर्तमान वर्ष 2012–13 से वर्तमान वर्ष 2015–16 तक कुल ` 255187.00 की काशनमनी प्राप्त हुई थी जिसका लेखापरीक्षा (जून 2016) तक समायोजन नहीं हो पाया था।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में अवगत कराया गया कि छात्रों की काशनमनी के उपयोग हेतु निदेशालय से निर्देश प्राप्त किये जायेंगें। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि वर्तमान तक काशनमनी समायोजन हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया।

अतः विगत एक से चार वर्षों के ` 255187.00 काशनमनी की धनराशि की छात्रों को वापस न लौटाये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 3 : ` 97,017.00 की पुस्तकें बिना क्रय समिति गठित किये क्रय किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे.आ.–सा.नि.) अनुभाग–7 संख्या XXVII (7)/2008 के दिनांक 01 मई, 2008 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति के स्तम्भ–2 के नियम 9 के अनुसार प्रत्येक अवसर पर ` 15,000 से अधिक तथा ` 1.00 लाख तक लागत की सीमा में की जाने वाली सामग्री का विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है। इस क्रय समिति में अनिवार्य रूप से एक सदस्य वित्तीय सेवाओं या लेखापरीक्षा सेवाओं या अधिप्राप्ति क्रय प्रक्रिया में विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी होगा, जो अधिप्राप्ति संबंधित प्रक्रियाओं और वित्तीय नियमों पर परामर्श देगा। यह क्रय समिति दरों की युक्तियुक्तता, गुणवत्ता तथा विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिए बाजार का सर्वेक्षण करेंगी और उपयुक्त आपूर्तिकर्ता चिन्हित करेगी। क्रय आदेश देने की संस्तुति से पूर्व समिति के सदस्य संयुक्त रूप से नियमानुसार प्रमाण पत्र अभिलिखित करेंगें। उक्त नियमावली के अध्याय एक के नियम दस के अनुसार निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जायेगा और न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे–छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा।

कालेज के स्थानीय क्रय सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2013–14 में पुस्तकें संलग्न विवरण के अनुसार ` 97,017.00 की क्रय गयी थी जो बिना क्रय समिति गठित किये क्रय कर ली गई थी।

उक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में अवगत कराया गया कि पुस्तकें तत्कालिक आवश्यकतानुार क्रय की गयी है एवं भविष्य में नियमानुसार क्रय समिति का

गठन कर पुस्तकें क्रय की जायेंगी। इकाई के उत्तर से स्वंय स्पष्ट है कि बिना क्रय समिति गठित किये पुस्तकें क्रय की गई जो नियमों के विरूद्ध है।

अतः ` 97,017.00 की पुस्तकें बिना क्रय समिति गठित किये क्रय किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

दिनांक	फर्म का नाम	धनराशि
16.06.2013	भारत बुक डिपो	6667.00
16.06.2013	भारत बुक डिपो	3795.00
22.06.2013	भारत बुक डिपो	1273.00
25.07.2013	भारत बुक डिपो	731.00
10.10.2013	अंकित प्रकाशन	10863.00
10.10.2013	अंकित प्रकाशन	8084.00
10.102013	अंकित प्रकाशन	9809.00
08.10.2013	भावना प्रकाशन	10881.00
02.12.2013	भावना प्रकाशन	7897.00
19.12.2013	नीलम बुक डिपो	37017.00
योग		**97017.00**

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 3 : निर्धारित देय तिथि पर इकाई के कर्मचारियों को एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (ACP) का लाभ न दिया जाना।

निदेशक उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल के पत्रांक–डिग्री–अर्थ/आठ (4)/विविध–II/01/2015–16 दिनांक 01.04.15 के अनुक्रम में प्रदेश में अवस्थित राज्य निधि से सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कार्मिकों को ए.सी.पी. का लाभ अनुमन्य किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

इकाई के सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 07 कर्मचारियों की 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चात् भी उन्हें ए.सी.पी. का लाभ नहीं दिया गया। जिनका कि 02/2015 तक ` 171049/– देय है। जबकि निदेशक उच्च शिक्षा विभाग हल्द्वानी द्वारा 254 कार्मिकों को ` 15722055/–का लाभ अनुमन्य हो चुका है तथा जिनका भुगतान भी हो चुका है।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा कि ए.सी.पी. स्वीकृति हेु प्रस्ताव भेजा गया है, किन्तु निदेशालय द्वारा ए.सी.पी. की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि लगभग दो वर्ष बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों को उक्त लाभ से वंचित रखा गया है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निरकारण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से कार्यालय **प्राचार्य चंद्रावती तिवारी कन्या, महाविद्यालय काशीपुर** को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)